



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 01.03.2024

थाना आदर्शमंडी

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार:-

आज दिनांक 01.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे गैंगस्टर एक्ट के मामलों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित 03 गैंगस्टरों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. अंकित पुत्र इन्दर निवासी ग्राम मुण्डेट कला थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
2. सचिन उर्फ रफ्तार पुत्र उदयवीर निवासी ग्राम मुण्डेट कला थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
3. रोहित पुत्र सत्यपाल निवासी नई बस्ती मौ0 पंसारियान थाना कोतवाली जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास उपरोक्त अभियुक्तगण:-

1. मु0अ0स0 18/21 धारा 392/411 भादवि थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
2. मु0अ0स0 35/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री गौरव चौहान थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
2. का0 दलवीर थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
3. का0 राहुल कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।



प्रेस नोट

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में हत्या के मामले में 03 हत्याभियुक्तों को माननीय न्यायालय मुजफ्फरनगर द्वारा सुनाई आजीवन कारावास की सजा एवं 31,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

ज्ञात हो दिनांक 22.10.2017 को थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण 1.दीपक पुत्र लोकेश निवासी ग्राम मन्टीहसनपुर थाना थानाभवन जनपद शामली 2.लोकेश पुत्र नन्दरूप निवासी ग्राम मन्टीहसनपुर थाना थानाभवन जनपद शामली 3.रवि उर्फ हान्डा पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम मन्टीहसनपुर थाना थानाभवन जनपद शामली द्वारा सुरता पुत्र कर्मसिंह निवासी ग्राम मन्टी हसनपुर थाना थानाभवन जनपद शामली के पुत्र मोहित की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। घटना के संबंध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 629/2017 धारा 147,148,149,302 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस मामले में अभियुक्तगण को तत्काल गिरफ्तार करते हुये न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा नियमित रूप से प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 01.03.2024 को माननीय न्यायालय डीजे कोर्ट मुजफ्फरनगर द्वारा धारा 302 भादवि में अभियुक्तगण दीपक, लोकेश, रवि उर्फ हाण्डा उपरोक्त को धारा 302 भादवि में सुनाई आजीवन कारावास की सजा व 10,000-10,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। तथा मु0अ0सं0-670/2017 धारा 4/25 आयुध अधिनियम में अभियुक्त रवि उर्फ हान्डा उपरोक्त को सुनाई 03 वर्ष के कारावास की सजा व 1000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

- 1.दीपक पुत्र लोकेश निवासी ग्राम मन्टीहसनपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 2.लोकेश पुत्र नन्दरूप निवासी ग्राम मन्टीहसनपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 3.रवि उर्फ हान्डा पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम मन्टीहसनपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

प्रेस नोट

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में मदाक पदार्थ की तस्करी के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय शामली द्वारा सुनाई 02 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा एवं 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1. वर्ष 2021 में अभियुक्त बोबी पुत्र त्रिलोकी निवासी कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 358/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 01.03.2024 को माननीय न्यायालय ADJ/SPL/SCST कैराना शामली द्वारा उपरोक्त धाराओं में अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1. बोबी पुत्र त्रिलोकी निवासी कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI

प्रेस नोट

जनपद पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 14 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी/वांछित अभियुक्त किये गिरफ्तार:-

दिनांक 01.03.2024 की रात्रि को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में जनपद पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 14 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध में सम्बन्धित थानों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.वसीम उर्फ बाबा पुत्र युसुफ निवासी मोहल्ला कलन्दरशाह पंसारियान थाना कोतवाली जनपद शामली।
- 2.अमरपाल पुत्र राजपाल निवासी ग्राम हसनपुर थाना कोतवाली जनपद शामली।
- 3.रामवीर पुत्र रामफल निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।
- 4.लाल्ला पुत्र घसीटू निवासी मोहल्ला ताड़वाला कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 5.अय्यूब पुत्र शरीफ उर्फ सीफा निवासी ग्राम मवी थाना कैराना जनपद शामली।
- 6.आबिद पुत्र मेंहदी हसन निवासी ग्राम मवी थाना कैराना जनपद शामली।
- 7.राकेश पुत्र सिंहलाम निवासी ग्राम पावटी कला थाना कैराना जनपद शामली।
- 8.फुरकान पुत्र हासिम निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।
- 9.उस्मान पुत्र अशरफ निवासी ग्राम मोहल्ला गुरुबन्द कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।
- 10.शकील पुत्र शरीफ निवासी मोहल्ला दरबारकला थाना कैराना जनपद शामली।
- 11.शाकिर पुत्र मूदा निवासी मोहल्ला दरबारखुर्द थाना कैराना जनपद शामली।
- 12.साहब सिंह पुत्र जयचन्द निवासी ग्राम ब्रह्मखेड़ा थाना कांधला जनपद शामली।
- 13.लाल उर्फ यशपाल पुत्र नत्थू निवासी ग्राम निबोला थाना बागपत जनपद बागपत।
- 14.राजू पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम बुच्चाखेड़ी थाना कैराना जनपद शामली।

